

नव भारत टाइम्स पृष्ठ 10 दिनांक 31/3/2016

1/ कृषि में उन्नति

योजनाओं के नए रूप

- प्रस्तावित 'समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना' के लिए 897 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- किसान दुर्घटना बीमा योजना के लिए 240 करोड़ रुपये और 'आम आदमी बीमा योजना' के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 787 करोड़ रुपये का प्रावधान।

फायदे

- किसानों को गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान के लिए 1,336 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 709 करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य आपदा राहत कोष के तहत कार्यों के लिए।
- 50 जिलों में सूखे से निपटने के लिए 2,057 करोड़ रुपये की कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव। इसके अलावा इन जिलों में चारा विकास कार्यक्रम भी प्रस्तावित है।
- किसानों को 3 प्रतिशत की ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- खाद, बीज आदि की खरीद के लिए 93,212 करोड़ रुपये का फसल ऋण वितरित करने का लक्ष्य।
- फसल बीमा कार्यक्रम के लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पहली बार राज्य के तीन प्रगतिशील महिला किसानों के लिए भी अलग श्रेणी के तहत पहले, दूसरे और तीसरे श्रेणी का पुरस्कार देना प्रस्तावित।
- नए डेयरी संयंत्र की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- खड्ड सुधार कार्यक्रम के तहत पायलट आधार पर कानपुर देहात और फतेहपुर में खड्ड भूमि की 5000 हेक्टेयर भूमि को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य।
- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए 745 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- झांसी में बेतवा नदी पर आर्च के पास सिंचाई के बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना के लिए 2,157 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- राज्य की 78 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र में निजी लघु सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए 549 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

बजट के फायदे

दीपक 31/3/16

ज्जारी, समाचार पत्र अजिह